

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/73

पं. सं. 34-ई/ 6-सी. पी. सी./ PCO ALL/08

दिनांक 26/02/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Recommendations of the VI Central Pay Commission -
Decision relating to grant of PCO Allowance to staff of
production Control Organisation.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)-2008/SP-1/WS-4 दिनांक 06/02/2009
(आर.बी.ई.सं.23/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No.73 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, ओआओजाओ/ओजओजाओ रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव, ओमओओपिओवओ रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं./ 73
आर बी ई सं. 23 /09

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-4

नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2009

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - उत्पादन नियंत्रण संगठन के स्टाफ को पीसीओ भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, उत्पादन नियंत्रण संगठन के स्टाफ को अनुमेय विशेष भत्ते के संशोधन संबंधी प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन रहा है। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, यह विनिश्चय किया गया है कि 4200/- रुपए तक ग्रेड वेतन आहरित करने वाले गैर-पर्यवेक्षी स्टाफ को 15% की दर से और 4600/- रुपए तक ग्रेड वेतन आहरित करने वाले संक्शन इंजीनियरों और वरिष्ठ संक्शन इंजीनियरों को 7.5% की दर से पीसीओ भत्ता दिया जाना जारी रखा जाए।

2. संशोधित वेतनमानों में दरें 01.09.2008 से प्रभावी होंगी।
3. पीसीओ भत्ते की गणना डीए, एचआरए, सीसीए, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण जैसे अन्य लाभों के लिए नहीं की जाएगी।
4. इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
5. कृपया पावती दें।

(चंद्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-4

नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

3. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।
4. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

...2/-

2B

EIV Policy

RB-938
12/2/09

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

PC-VI No. 73
RBE No. 23/09

No. E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4

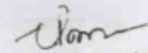
New Delhi, dated: 06.02.2009.

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc.

Sub: Recommendation of the VI Central Pay Commission –
Decision relating to grant of PCO Allowance to staff of
Production Control Organisation.

Pursuant to the recommendations of the VI CPC, the question of revision of the Special Allowance admissible to the staff of the Production Control Organisation has been under consideration of the Board. After careful consideration, it has been decided that PCO Allowance may continue to be paid @ 15% to non-supervisory staff drawing grade pay upto Rs. 4200/- and @ 7.5% to the Section Engineers and Senior Section Engineers drawing grade pay of Rs. 4600/-.

2. The rates in revised scales will be effective from 1.9.2008.
3. The PCO Allowance will not be reckoned for any benefit such as DA, HRA, CCA, pension, gratuity and fixation of pay on promotion.
4. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. Please acknowledge receipt.

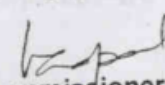

(Chander Parkash)
Joint Director, Estt. (P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4

New Delhi, dated: 06.02.2009

Copy to:

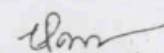
1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224
Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4

New Delhi, dated: 06.02.2009

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board
.....2/-